**जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,महोबा हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु निम्न व्यक्ति अर्ह होंगें :–**

(1) भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

(2) उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

(3) उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य

(4) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य

(5) दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी

(6) वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता

(7) भारत के उच्चतम न्यायालय,उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ पैनलबद्ध मध्यस्थ

(8) मध्यकता/सुलह में न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति

(9) न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी

**जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,महोबा हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु निम्न व्यक्ति अनर्ह होंगें :–**

(1) ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया हो ।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो,लगाय गये हों और लंबित पडे हों ।

(3) ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिये दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है ।

(4) ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो और लंबित हो अथवा दण्ड दिया गया हो ।

**जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,महोबा हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप**

1.आवेदक का नाम (हिन्दी में):

2.आवेदक का नाम (अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में):

3.आवेदक के पिता/पति का नाम (हिन्दी में):

4.आवेदक की जन्म तिथि:

5.आवेदक की शैक्षिक योग्यता:

6.आवेदक का पता (हिन्दी में):

7.आवेदक का मोबाइल नंबर :

8.आवेदक की ई–मेल आई0डी0 :

9.अन्य विवरण जिसका संबंध निम्न से हो :

10.यदि आवेदक किसी न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य/वकालत का दस वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता/मध्यकता/सुलह में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति/न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी है तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें एवं सेवा के अंतिम पद का उल्लेख करें :

11.क्या आवेदक को कभी दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया है:–

12.क्या आवेदक के विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो,लगाय गये हैं और लंबित पडे हैं:–

13.क्या आवेदक को किसी अपराध के लिये दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है :–

14.क्या आवेदक के विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई और लंबित है अथवा दण्ड दिया गया है :–

दिनांक:

स्थान :

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

संलग्नक:

## घोषणा—पत्र

एतद्द्वारा मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन में जो भी सूचनायें अंकित कीं हैं वह सत्य हैं । भविष्य में यदि कोई सूचनायें गलत पाईं जातीं हैं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये ।

दिनांकः आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

स्थान :

नोटः आवेदन को दिनांकः28,फरवरी,2022 को सायं 04:00 बजे तक जरिये रजिस्टर्ड पत्र अथवा स्वयं उपस्थित होकर "कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,महोबा कक्ष संख्याः08 नवीन कलैक्ट्रेट भवन (भूतल),महोबा जिला महोबा पिनकोड–210427 में प्रेषित किया जाय । साथ इस संबंध में यह भी सूच्य है कि पैनलबद्ध मध्यस्थ को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019 एवं विनियम्–2020 के अनुसार जिला पीठ,जिला आयोग,महोबा द्वारा तय मानदेय निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत देय होगा ।

प्रेषक :